हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

दूरभाष / Telephone : 01346 - 252143 (O)
फैक्स / Fax : 01346 - 252247 (O)
ईमेल / Email : registrar.hnbgu@gmail.com

.ब.ग.वि.वि. / मान्यता / 2022 / 1377 दिनांक : 14/10/2022

सेवा में,
प्राचार्य / निदेशक / सचिव
श्री देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइंस एण्ड टैक्नोलाजी,
ग्राम मझौन वाया पौंधा, देहरादून।

विषयः– सत्र 2022–23 के अस्थाई सम्बद्वता विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 08.08.2022 तथा कालेज / संस्थान द्वारा दिये गये 31 बिन्दुओं के शपथ–पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11 (3) मे निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार श्री देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइंस एण्ड टैक्नालाजी, देहरादून में संचालित स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट के साथ **सत्र 2022–23** के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निरीक्षण समिति द्वारा अंकित निम्न प्रतिबन्धों / कमियों के साथ दी जाती है कि:– **The committee recommended that remaining faculties for two Unit (100 Seats) of B.Ed. course should be appointed as per the norms of NCTE before commencement of the session 2022-23. All teachers and staff should be paid salary as per UGC scales.**

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होगें:–

1. संस्थान को एन0सी0टी0ई0 / यू0जी0सी0 / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे माध्यम से करना होगा।
3. एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नही किये जायेगें तथा दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नही करेगा।
5. कुलपति महोदय के आदेश / निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. निरीक्षण के समय सभी शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों के फार्म–16 देने होंगे।
8. विश्वविद्यालय नियमों का पालन न करने पर कारण बताओं नोटिस जारी कर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगा:–

1. **निरीक्षण समिति द्वारा अंकित प्रतिबन्धों / कमियों को 21 दिनों के अर्न्तगत पूर्ण करना होगा।**
2. प्रत्येक तीन माह में फैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्न्तगत उपलब्ध करानी होगी।

भवदीय
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1. उप कुलसचिव परीक्षा / परीक्षा नियंत्रक।
2. निजी सचिव, प्रति कुलपति।
3. निजी सचिव, कुलपति, कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव